स्वंय सेवी संगठनों के साथ बजट पूर्व कार्यशाला के दौरान उभरी बजट 2013–14 से अपेक्षायें एवं सुझाव

राज्य सरकार द्वारा राज्य के वार्षिक बजट का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस संदर्भ में **बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र** (बार्क) द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर में एवं 20 नवम्बर 2012 को विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में राज्य की स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ बजट पूर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राज्य भर की स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के दौरान कृषि, जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं एवं बाल अधिकार, स्थानीय निकाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना तथा अल्पसंख्यक समूहों आदि से जुडे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही 21 नवम्बर 2012 को राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की ड्राफ्ट कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जलवायु परिवर्तन तथा राज्य सरकार की जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

यहां बार्क के बजट पूर्व कार्यशालाओं तथा कृषि सम्मेलन में उभरे चिंताओं, सुझावों तथा मांगों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रक्रिया एवं पारदर्शिता

- सरकार द्वारा बजट विवरण विभागवार एवं जिलेवार उपलब्ध करवाये जायें।
- पंचायतों द्वारा बजट तैयार किया जाकर पंचायती राज विभाग को भेजा जाता है। सरकार को पंचायत की बजट प्रकिया को वित्त विभाग से जोड़ना चाहिए।
- सरकार पंचायतों को हस्तांतरित 5 विषयों एवं उनसे संबंधित विभागों को प्रभावी बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करवाये।
- पंचायतों को हस्तांतरित 5 विषयों के हस्तांतरण को 3 वर्ष हो चुके हैं ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन विषयों से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन आदि पर एक अध्ययन करवाया जाना चाहिये।
- सरकार पंचायतों द्वारा तैयार आयोजना को राज्य आयोजना में सम्मिलित करे।
- राज्य सरकार को विधायक क्षेत्रीय विकास कोष में राशि खर्च के करने के नियम एवं व्यय धन की जानकारी वेबसाईट के माध्यम से आमजन को देनी चाहिए।
- राज्य सरकार योजनाओं का जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें।
- शहरी विकास के आयोजना एवं बजट के लिये वार्ड स्तर पर सूक्ष्म आयोजना एवं बजटींग की व्यवस्था हो।
- शहरी विकास के लिये आवंटित बजट एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी संबंधित स्थानीय शहरी निकाय द्वारा वेबसाईट पर दी जाये।

शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियां

- शिक्षा के अधिकार कानून को पूर्ण रूप से क्रियांवित करने के लिये इस कानून के मानकों के अनुसार विद्यालयों में सुविधाओं का विकास किया जाये।
- शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत बनी विद्यालय सर्तकता समितियों को प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन द्वारा प्रभावी बनाया जाये।

- शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत विद्यार्थीयों को प्रवेश देना अनिवार्य है निजी विद्यालय इस नियम का उल्लघंन कर रहे हैं। अतः सरकार इस दिशा में ठोस कारवाई करे।
- सरकार लड़कियों के लिये 12 वीं तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे।
- शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों की गुणवत्ता की जांच सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से होनी चाहिये।
- सरकार शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों का समानीकरण करे।
- ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षकों का अनुपात बहुत कम है अतः सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे।
- राज्य में शिक्षा की कार्ययोजना बनाते समय घुमन्तु एवं खानाबदोश जातियों की प्राथमिकताओं एवं जीवनचर्या को ध्यान में रखा जाये।
- किसी प्रकार की छात्रवृति हेतु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति दिलाने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हो।
- सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृति एवं वजीफा कार्यक्रम छोटी कक्षा से प्रारम्भ करे ताकि बच्चों के स्कूल छोड़ देने के प्रतिशत में कमी आ सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिये अलग अलग शौचालय एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया जाये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- पंचायतें स्वास्थ्य के मुद्दे को विकास के मुद्दे में शामिल करते हुये गांव की कार्य योजना तैयार करें।
- ग्राम की स्वास्थ्य योजना तैयार करने में सरकारी, गैर सरकारी विभाग एवं संस्थाओं की भागीदारी रहे।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विलेज हैल्थ कमेटी को आवंटित धन खर्च नहीं किया जा रहा है अतः राज्य सरकार इस पर विशेष निगरानी रखे।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति को प्रशिक्षण एवं क्षमतार्वद्धन के द्वारा प्रभावी बनाया जाये।
- विभाग की वेबसाईट पर विभागीय बजट एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध रहे।
- सरकार को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाये।
- सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सा कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति करे तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये नये संस्थान खोले।
- सरकारी चिकित्सा संस्थानों से डिग्री लेने वाले चिकित्सकों का कम से कम 5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य किया जाये।
- राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने व बन्द होने का समय क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय करे।
- राज्य सरकार निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की संख्या बढ़ाये तथा इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखने पर विशेष ध्यान दे।
- सरकार लम्बे ईलाज वाली बीमारी के लिये डॉक्टर द्वारा 3 या 7 दिन के स्थान पर 15 से 30 दिन की दवाई दिये जाने की व्यवस्था करे।

- सरकार राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा एवं उपलब्ध दवाओं की जानकारी का सूचना पट्ट लगवाना सुनिश्चित करे।

पोषण

- अधिकांश आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं अतः सरकार आंगनबाडी केन्द्रों के लिये स्वंय के भवनों का निर्माण करवाये।
- सरकार किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की किराया राशि को बढ़ाये।
- सरकार आंगनबाडी मोबाईल वैन सेवा प्रारम्भ करे ताकि घुमन्तु जातियों एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार भी पोषाहार योजना का लाभ ले सकें।
- सरकार आंगनबाडी ए.एन.एम. एवं पर्यवेक्षक के काम की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये कमेटी का गठन करे।
- सरकार आंगनबाडी केन्द्रों पर शालापूर्व शिक्षा के लिये रिक्त पदों पर नियमित कार्यकर्ता की नियुक्ती करे।
- सरकार सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य को मापने के उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध करवाये।
- राज्य में पोषाहार योजना के अंतर्गत ठेकेदारों से भोजन बनवाने की व्यवस्था को बंद किया जाये तथा पोषाहार बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूहों को दिया जाये।
- समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण की जानकारी देने वाला सूचना पट्ट हो जिसमें प्रत्येक दिन के अनुसार पोषाहार वितरण की जानकारी हो।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि आंगनबाडी केन्द्रों पर सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
- सरकार आंगनबाडी केन्दों पर दिये जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता को बढ़ाये तथा सभी केन्द्रों पर निर्धारित सूची के अनुरूप पोषाहार उपलब्ध करवाया जाये।
- सरकार क्षेत्र विशेष के खानपान एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आंगनवाडी केन्द्रों पर आहार सामग्री उपलब्ध करवाये।

सामाजिक सुरक्षा

- राज्य में संचालित विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन कम से कम 1000 रू. मासिक होनी चाहिये तथा इसे मंहगाई के साथ जोड़ा जाये।
- राज्य में संचालित विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का सार्वभौमिकरण किया जाये।
- कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं के लिये पेंशन के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाये जायें।
- विधवा महिलाओं को आंगनबाडी में कार्यकर्ता/सहायिका के पदों पर प्राथमिकता दी जाये।
- पंचायत स्तर पर संचालित समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये कर्मचारी की नियुक्ति की जाये।
- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंर्तगत अपना खेत अपना काम कार्यक्रम में बीपीएल., एस.टी., एस.सी. व सीमांत किसानों के साथ विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा जाये।

भोजन की सुरक्षा

- अनाज के भंडारण के लिये सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे अनाज खराब ना हो सके।
- अनाज भंडारन के लिये महानरेगा के अंर्तगत पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर भंडार गृह का निर्माण करवाया जाये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण किया जाये एवं उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बीपीएल परिवारों को 25 कि.ग्रा. के स्थान पर 35 कि.ग्रा. अनाज 2 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से देने का प्रावधान रखा जाये।

अनुसुचित जाति एवं जनजाति

- राज्य सरकार जिला/ब्लॉक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के दिशा निर्देश बनाये।
- राज्य में अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का बजट दोनों जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाये।
- 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम' के तहत होने वाले मुकदमों में मुआवजा राशि दोषी से वसूल की जाये।
- सरकार राज्य के सभी विभागों को इन उपयोजनाओं के खाते खोलने के लिए पाबंद करे।
- समस्त विभाग अपने वार्षिक प्रतिवेदन में दोनों उपयोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय खर्च की जानकारी भी देवें।
- प्रत्येक विभाग अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की राशि सीधे लाभ देने वाली योजना/कार्यक्रमों के माध्यम से खर्च करें।
- संबल गांव के लिये तय मापदण्ड़ पूरे करने वाले कुल गांवों में से सरकार प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत गांवों को संबल बनाने की योजना चलाये ताकि अगले 4 वर्ष में 100 प्रतिशत संबल गांव बन सके।
- सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को शिक्षा से जोड़ने के लिये छात्रवृति एवं वजीफा कार्यक्रम छोटी कक्षाओं से प्रारम्भ करे।
- राज्य में संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के विभागीय नोडल अधिकारीयों का स्थानांतरण जल्दी नहीं किया जाये।
- सरकार सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की बजट राशि किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जाये।

अल्पसंख्यक मामलात

- अल्पसंख्यकों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों का ब्लॉक स्तर पर भी क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाये।
- सरकार अल्पसंख्यक परिवारों को बैंक से 1 लाख रू. का रोजगार ऋण आसान शर्तों पर दिलवाने का प्रावधान करे।
- सरकार अल्पसंख्यक विभाग में कार्यरत जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के पदों पर नियमित व स्थाई नियुक्ति करे।

- सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की पहुंच आम जन तक बढ़ाने के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाये।
- शहरों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिये सरकार नये कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये तथा इनसे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अलग से दिशा निर्देश जारी करे।
- सरकार अल्पसंख्यक परिवारों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु नये रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाये।
- राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विभाग अपने कुल बजट की 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के विकास के लिये खर्च करे।

रोजगार

- राज्य की न्यूनतम मजदूरी 133 रू. से बढ़ाकर कम से कम केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम मजदूरी 147 रू. के बराबर की जाये।
- राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी को मंहगाई दर के साथ जोडना चाहिये।
- सरकार महानरेगा में रोजगार के दिवसों की संख्या 100 से बढाकर 200 दिवस तक करे।
- नवयुवकों के कौशल प्रशिक्षण के लिये नवीन कार्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जाये।